राष्ट्रीय जनप्रतिनिधि सम्मेलन के पूर्ण और समानांतर सत्रों में चर्चा हुई

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2018 : राष्ट्रीय जनप्रतिनिधि सम्मेलन, जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने 10 मार्च, 2018 को केंद्रीय कक्ष में किया था, में दोपहर बाद पूर्ण सत्र में सम्मेलन के मुख्य विषय "विकास संकल्पित हम" पर चर्चा की गई।

नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री अमिताभ कांत ने प्रतिनिधियों के लिए आकांक्षी जिलों के बारे में प्रस्तुति देते हुए कहा कि हालांकि हमारे देश ने आर्थिक क्षेत्र में काफी प्रगति की है, किंतु मानव विकास सूचकांक में भारत का 131वें स्थान पर होना देश के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि राज्यों और जिलों में और उनके बीच असमानताएं और असमताएं हैं। उन्होंने यह जानकारी दी कि विभिन्न राज्यों में 115 ऐसे आकांक्षी जिलों का पता लगाया गया है जो विकास के मामले में पीछे हैं और उन्हें विकसित जिलों में बदले जाने से मानव विकास सूचकांक में भारत की स्थिति में सुधार आएगा। उन्होंने बताया कि वर्ष 2011 के प्रकाशित सर्वेक्षण के आधार पर ऐसे जिलों के लिए विकास संबंधी मानदंडों के रूप में 48 सूचक चुने गए हैं और स्वास्थ्य और पोषाहार, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन और कौशल तथा बुनियादी सुविधाओं जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर पूरी तरह ध्यान दिए जाने की अत्यावश्यकता है। इसके अलावा मासिक आधार पर इन आकांक्षी जिलों की वास्तविक निगरानी और रैंकिंग अप्रैल, 2018 से सार्वजनिक की जाएगी जिससे न केवल विकास के लिए बल्कि कार्य निष्पादन के मामले में भी अधिक प्रतिस्पर्धा होगी।

पूर्ण सत्र में अपने विचार व्यक्त करते हुए केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री, श्री सुरेश प्रभु ने कहा कि विकास की अवधारणा और अर्थ प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग-अलग होता है। वास्तव में, विकास से हमारा तात्पर्य है कि पहले जो भी किया गया, उससे कुछ बेहतर करना। उन्होंने कहा कि विकास के लिए मानव संसाधन और प्राकृतिक संसाधन, दोनों की ही आवश्यकता है जिनका हमारे देश में प्रचुर भंडार है, किंतु अधिक उपभोग के कारण हमारे प्राकृतिक संसाधनों को गंभीर खतरा है। श्री प्रभु ने कहा कि संसाधनों के मामले में दक्षता नया मंत्र है, किंतु आने वाले वर्षों में हमें संसाधनों के विकल्प खोजने होंगे, संसाधन जुटाने होंगे और संसाधनों का इष्टतम उपयोग करना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि जनप्रतिनिधि होने के नाते हमें लोगों में कानूनों की स्वीकार्यता के बारे में जागरुकता विकसित करनी चाहिए तथा संसाधन और जिला आधारित योजनाएँ तैयार करनी चाहिए।

बाद में दिन में सम्मेलन के समानांतर सत्रों में (i) विकास प्रक्रिया में जनप्रतिनिधियों की भूमिका; और (ii) विकास में संसाधनों के इष्टतम उपयोग विषयों पर चर्चा हुई। चार समूहों (उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम क्षेत्रों) में विभाजित प्रतिनिधियों ने सार्थक चर्चा की। लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती सुमित्रा महाजन ने सभी सत्रों में भाग लिया।

'विकास प्रक्रिया में जनप्रतिनिधियों की भूमिका' विषय पर आयोजित सत्र में लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती सुमित्रा महाजन; केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री, श्री प्रकाश जावडेकर; लोक सभा सदस्य, श्री भर्तृहरि महताब; और लोक सभा सदस्य, श्री कल्याण बनर्जी की अध्यक्षता में चार समिति कक्षों में विचार-विमर्श किया गया। 'विकास में संसाधनों का इष्टतम उपयोग' विषय पर केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, श्री जे.पी.नड्डा; केन्द्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज तथा खान मंत्री, श्री नरेन्द्र सिंह तोमर; केन्द्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री, श्री धर्मेन्द्र प्रधान; राज्य सभा में नेता प्रतिपक्ष, श्री गुलाम नबी आजाद की अध्यक्षता में समिति कक्षों में विचार-विमर्श किया गया।

समानांतर सत्रों में हुई सार्थक चर्चा के दौरान प्रतिनिधियों ने अपने-अपने निर्वाचनक्षेत्रों के विकास से जुडी समस्याओं और चिंताओं के बारे में बताया। कुछ प्रतिनिधियों ने अपने सफल प्रयासों के बारे में बताया जिसकी उनके साथियों ने सराहना की। प्रतिनिधियों ने विकास के सबसे बुनियादी स्तर सहित सभी स्तरों पर जनप्रतिनिधियों की भागीदारी की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रतिनिधियों में इस बारे में भी सर्वसम्मति थी कि चूँकि सीमित संसाधन ही उपलब्ध हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा दिया जाए। इससे न केवल उनका सफलतापूर्वक प्रबंधन करने में मदद मिलेगी, बल्कि उनका अधिकाधिक उपयोग सुनिश्चित होगा। कल अर्थात 11 मार्च, 2018 को संकल्प स्वीकार किए जाने के साथ इस सम्मेलन का समापन होगा।

उपराष्ट्रपति और राज्य सभा के सभापति, श्री एम. वेंकैया नायडू 11 मार्च, 2018 को 11.30 बजे सम्मेलन के विदाई सत्र की अध्यक्षता करेंगे।